भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2239
दिनांक 19 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

महिला एवं बाल सुरक्षा और शिक्षा से सम्बंधित योजनाएं

2239 **श्री खीरू महतोः**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क. झारखंड राज्य में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा तथा उनकी शिक्षा से संबंधित कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं;
ख. तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
ग. सरकार द्वारा झारखंड राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
घ. यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कार्य के लिए राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): केन्द्र सरकार झारखंड राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने तथा उनकी शिक्षा सहित उनके समग्र विकास और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस संबंध में प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

(i) समग्र शिक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक सहित विभिन्न छात्रवृत्ति

योजनाएं और उच्च शिक्षा और फेलोशिप के लिए छात्रवृत्ति के साथ-साथ ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे 'सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन' (एनएमईआईसीटी) योजना, स्वयं (युवा महत्वाकांक्षी दिमागों के लिए सक्रिय शिक्षण का अध्ययन वेब), स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल), वर्चुअल लैब, ई-यंत्र, पीएम ई-विद्या, एनईएटी (राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी गठबंधन) आदि को अविवाहित महिलाओं सहित सभी के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित किया गया है।

वर्ष 2018-19 से कार्यान्वित समग्र शिक्षा का उद्देश्य झारखंड राज्य सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। इसका उद्देश्य कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। यह योजना बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों और ट्रांसजेंडर समुदायों से संबंधित बच्चों तक पहुंचती है।

स्कूली शिक्षा में बालिकाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, समग्र शिक्षा के तहत विभिन्न कार्यकलापों को लक्षित किया गया है, जिसमें बालिकाओं के लिए पहुंच को आसान बनाने हेतु पड़ोस में स्कूल खोलना, कक्षा आठ तक की बालिकाओं के लिए नि:शुल्क वर्दी और पाठ्य-पुस्तकें, दूरदराज/ पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए अतिरिक्त शिक्षक और आवासीय क्वार्टर, महिला शिक्षकों सहित अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं (सीएसडब्ल्यूएन) को वजीफा, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, बालिकाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक संवेदीकरण कार्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकों सहित जेंडर-संवेदनशील शिक्षण-अधिगम सामग्री शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक अंतर को कम करने और बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, समग्र शिक्षा के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का प्रावधान किया गया है जो देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों से संबंधित 10-

18 वर्ष की आयु की कक्षा VI से XII तक की बालिकाओं के लिए स्वीकृत आवासीय विद्यालय हैं। इसके अलावा एनईपी 2020 'समान और समावेशी शिक्षा' पर केंद्रित है जो इस विचार पर बल देती है कि किसी भी बच्चे को उसकी पृष्ठभूमि और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान के कारण शैक्षिक अवसर के मामले में पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

(ii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 15 वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 से महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए देश में केंद्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिन्हें तीन घटकों अर्थात (1), महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; (2) देश में पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0; और (3) कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य, के तहत रखा गया है। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

मिशन शक्ति: 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तीकरण की पहलों को मजबूत करना है। इसमें महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए क्रमशः दो उप-योजनाएं 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं। "संबल" घटक महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा के लिए है और इसके प्रमुख घटक हैं, वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)**,** जो जिला स्तर पर स्थित एक संस्था है जो संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, चिकित्सा और पुलिस सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता जैसी तत्काल मदद प्रदान करती है, महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) 181 सहायता और जानकारी चाहने वाली महिलाओं को 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान करती है। "सामर्थ्य" घटक महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) का उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं में भी कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी और ज्ञान के अभाव को दूर करने के एक माध्यम का कार्य करता है। ये सभी सुविधाएं झारखंड राज्य में उपलब्ध हैं।

मंत्रालय बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने तथा बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए मिशन पोषण 2.0 का भी कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही मिशन वात्सल्य योजना देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए है।

(iii) महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए झारखंड राज्य में निर्भया कोष के तहत कई परियोजनाएं/योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं/ कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस)-112, मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, महिला हेल्प डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी), राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एसएफएसएल) में साइबर फोरेंसिक और संबंधित सुविधाएं, महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण (डब्ल्यूएचएल)-181, राज्यवार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म (वीटीपी), फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह में जांच अधिकारियों (आईओ)/ अभियोजन अधिकारियों (पीओ)/ चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) का प्रशिक्षण, दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत लंबित मामलों के समाधान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करना शामिल हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 22 एफटीएससी कार्यशील हैं। झारखंड राज्य में 24 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) संचालित हैं जिनमें से प्रत्येक 24 जिलों में एक ओएससी है। दिनांक 31.01.2025 तक, वन स्टॉप सेंटर द्वारा कुल 5440 महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है और झारखंड राज्य में डब्ल्यूएचएल द्वारा 76447 महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

(iv) झारखंड राज्य सहित देश भर में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित कुछ अन्य योजनाएं निम्नानुसार हैं:

(क) झारखंड राज्य सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कठिन परिश्रम को कम करने और उनका जीवन आसान बनाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.6 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10.3 करोड़ परिवारों को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया गया है और जल जीवन मिशन के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक परिवारों को स्वच्छ पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है।

(ख) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर की व्यवस्था करके 'सबके लिए आवास' प्रदान करना तथा शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों में

रहने वालों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की आवास जरूरतों को पूरा करना है।

(ग) आयुष्मान भारत के तहत, सरकार 55 करोड़ से अधिक नागरिकों को 1200 से अधिक मेडिकल पैकेजों के माध्यम से मुफ्त इलाज उपलब्ध करा रही है जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में गरीब महिलाओं तक स्वास्थ्य लाभ की पहुंच बढ़ाना है। इनमें से 141 से अधिक मेडिकल पैकेज सिर्फ महिलाओं की मेडिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। इस योजना के तहत सात तरह की जांच (तपेदिक, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, ओरल कैंसर, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और मोतियाबिंद) की जाती है जिससे करोड़ों महिलाओं को फायदा हुआ है। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में 150,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) समाज को स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराते हैं, जिन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कहा जाता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है जिसमें गरीब और वंचित महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

(घ) देश भर में 15,000 से ज़्यादा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) काम कर रहे हैं। पीएमबीजेके में महिलाओं के लिए 40 से ज़्यादा खास मदों समेत किफ़ायती दवाइयां और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के अलावा, 'सुविधा सैनिटरी नैपकिन' नाम से सैनिटरी नैपकिन की बिक्री की भी व्यवस्था है जिसकी कीमत बेहद किफ़ायती 1 रुपये प्रति पैड है।

(ङ) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत महिलाओं को कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(च) प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) ग्रामीण आबादी को डिजिटल साक्षरता प्रदान करता है।

(छ) दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएम-जेडीवाई) के तहत भी महिलाएं सबसे बड़ी लाभार्थी हैं। यह पहल विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, ऋण और बीमा सेवाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ तक पहुंच भी प्रदान करती है।

(ज) स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना बैंक ऋण और उद्यमशीलता कार्यकलापों को सुगम बनाती है और इससे महिला उद्यमियों को काफी लाभ हुआ है।

(झ) स्टार्ट-अप इंडिया, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) जैसी योजनाएं रोजगार/स्वरोजगार और ऋण सुविधाएं प्रदान करती हैं। इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों में से अधिकांश महिलाएं हैं।

(ञ) बीमा कवरेज और पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) कार्यान्वित की गई है।

*****